

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकर (ले एवं हक), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 15/7/26

विषय:- विधि विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 2,56,11,053/- (दो करोड़ छप्पन लाख ग्यारह हजार तिरपन रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विधि विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल राशि ₹ 2,56,11,053/- (दो करोड़ छप्पन लाख ग्यारह हजार तिरपन रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0डी0	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/ दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
01	पटना सिटी भवन प्रमंडल, पटना	33049	Supply of Furniture and Demolish of Brick work, Aluminium Door Window, RCC Chhajja & Painting work in Hostel Building at Bihar Judicial Academy, Gaighat, Patna for the year 2023-24	5892/ 08.08.23	7389297 (तिहत्तर लाख नवासी हजार दो सौ संतानवे रुपये)
02	पटना सिटी भवन प्रमंडल, पटना	33002	Construction of Boundary Wall for Bihar Judicial Academy at Punpun for the year 2025-26	6020/ 17.09.25	18221756 (एक करोड़ ब्यासी लाख इक्कीस हजार सात सौ छप्पन रुपये)
कुल राशि					25611053

(दो करोड़ छप्पन लाख ग्यारह हजार तिरपन रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0109-बिहार राज्य न्यायिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान हेतु छात्रावास निर्माण (विधि विभाग के लिए), विपत्र कोड-03-4059800510109 के विषयशीर्ष-53-मुख्य कार्य-0109.53.01-मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जायेगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना, भवन निर्माण विभाग होंगे।
- इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

जापांक:-

6515(म)

पटना, दिनांक:-

15/7/26

प्रतिलिपि:- सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।